

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज  
अभिलेख संख्या - 258/16-17

21/05/2016

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/2016

श्री. सति. त्रिसुनी देवी  
ग्राम. गौवरदोली

पिता. श्री. परमेश्वर राणा

अंचल देवरी जिला

गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री हररबु महतो

पिता. स्व. चरण महतो

ग्राम. आगरपुरदोली

अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 266


दिनांक 03.02.2007 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
किसरौ	236	230	986	0450

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 29.5.2016 को उपस्थानित कर  
पाकी व अपरिचित अधिकार का प्रतिनिधित्व सामग्री प्रस्तुत  
हो जाने के कारण पूर्व पंजी 27 पर 15-15 अभिलेख  
गोपनीय एवं गोपनीय अभिलेखित है।  
लेखापित

  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

30/5/2016

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलून संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 23 पर विक्रेता के पिता चारम मरतो के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति विद्युनी देवी मित्ता/पति श्री प्रमोदकर राणा ग्राम जोरतेली के नाम किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
किसगाँव	236	986	04570	12951

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

विद्युनी देवी  
मति